Activities are being conducted under Ek Bharat Shreshtha Bharat programme

Year 2019-2020

1. ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र गूजरात विद्यापीठ रांधेजा में विद्यापीठ की स्थापना के 100वें वर्ष में आज 4.1.2020 को महिला सुरक्षा तालीम का आयोजन किया गया। तालीम के मुख्य प्रशिक्षक श्री नितिन सी त्रिवेदी, मेनेजिंग ट्रस्टी-परमार्थ सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद ने कहा वर्तमान समय में महिला सुरक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा है ऐसे में यह समझना व सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि छात्र-छात्राएं ये जानें कि किन परिस्थितियों में विपत्ति का भोग बन सकते हैं तथा उनसे बाहर निकलने के क्या संभव तरीके हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज देश एवं राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनती जा रही है। महिला तस्करी, छेडखानी, गुनाहखोरी, शोषण, एसिड अटेक, रेपकेस आदि के हकीकतलक्षी आंकड़े पेशकर विद्यार्थियों को संवेदनशील एवं जागृत करने का कार्य इस तालीम के माधयम से किया तथा ऐसे समय में क्या उपाय किए जा सकते हैं के बारे विस्तार से अवगत कराते हुए कहा कि ऐसे में 1091, 181 और 108 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है तथा 54-A, 354-D, 100, 509 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

2. ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र एवं महादेवभाई देसाई ग्राम सेवा महाविद्यालय गूजरात विद्यापीठ रांधेजा द्वारा दिनांक 13.1.2020 को स्वामी विवेकानन्द जयन्ती- राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अवसर पर युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्ता मंडल, जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल तथा तालुका कानूनी सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में कानूनी शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 विद्यार्थी भाई-बहनों द्वारा भाग लिया गया।

मुख्य वक्ता पेरा लीगल सामाजिक कार्यकर स्वयंसेवक सीनियर सिटीजन श्री सुधीरभाई देसाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचेरी द्वारा एफ. आई.आर. की प्रथम समीक्षा के कमेटी के सदस्य के रूप में सेवाऐं दे चुके हैं, ने कानूनी सेवा मंडल की प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी को समान न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध यह संगठन उन गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है तथा कानूनी प्रक्रिया से पीड़ित हैं। स्थानीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक का समस्त कानूनी सलाह खर्च वे वहन करते हैं। इसके अलावा हाँसिये पर आये हुए वे जरूरतमंद जो पुलिस कस्टडी में हैं लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनकी जमानत की व्यवस्था तथा कुदरती आफतों के पीड़ितों की कानूनी रूप से सहायता करते हैं। 2011 से यह मंडल मध्यस्थता के द्वारा उन केसों का निबटारा करता है जो सीधे उनके पास आते हैं अथवा जिन्हें नामदार न्यायाधीश महोदय द्वारा मध्यस्थता हेतु उन्हें सोंपा जाता है। इसके

अतिरिक्त रूपाल, चिलोड़ा, डभोडा आदि गाँवों में हरेक बुधवार को कानूनी सहायता शिविर लगाकर ग्रामीणों का मार्गदर्शन करते हैं।

मध्यस्थता का अभिगम सामाजिक समरसता वाली भारतीय संस्कृति का भाग है तथापि इसे अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था से अपनाया गया है जहाँ 90 प्रतिशत केसों का निबटारा उस मध्यस्थता के जरिए हो जाता है जिसमें किसी भी पक्ष को हार की जिल्लत नहीं देखनी पड़ती। अफसोस, भारत इस क्रम में लगभग महज 10 प्रतिशत तक ही पहुँच सका है। आज के युवाओं को इस प्रतिशत को बढ़ाने में तथा समाज में भाईचारा कायम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होंने प्रसंगोवसात स्वामी विवेकानन्दजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामीजी का जीवन देशभक्ति से परिपूर्ण है तथा हम सभी युवाओं के लिए अनुकरणीय है।

जिला कानूनी सेवा मंडल के ही पेरा लीगल वॉलियन्टीयर श्री मनुसुखभाई वी कोटेचा जी ने सभी विद्यार्थियों को संविधान के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु प्रतिज्ञा दिलाई।

3. ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र, गूजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा महामहिम राज्यपालश्री देवव्रत आचार्य जी के जन्मदिन पर आज 18.1.2020 को राजभवन गांधीनगर में रक्तदान किया। राज्यपाल महोदय को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि गूजरात विद्यापीठ मानवीय संवेदना जागृति हेतु सतत प्रयत्नरत है तथा इस तरह के सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में विगत वर्षों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती रही है।